

भारतीय न्यायशास्त्र और महिलाएं

डॉ आशीष कुमार लाल
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
एम० एल० के० पी० जी० डिग्री कॉलेज, बलरामपुर

सारांश : 21वीं सदी को महिलाओं की सदी माना जाता है। महिलाएं उन्नति के परचम फहरा रही हैं। आधुनिक युग की महिलाओं को यह आजादी अनेको मिशनिस्टों, भारतीय, अंग्रेज समाज सुधारकों, राजनेताओं स्वामी विदेशानन्द, राजाराम मोहनराय, महात्मा गांधी, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, लार्ड स्पिन, गोपाल कृष्ण गोखले, मिस कूक इत्यादि के अथक प्रयासों से प्राप्त हुई हैं। इन सब महापुरुषों के अथक प्रयासों से ही विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा, इत्यादि कृप्तप्रथाओं का निमूलन किया गया है। आधुनिक युग में महिलाओं की उन्नति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मानव अधिकारों के चार्टर की धारा 35 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी अनुपालन और सम्मान को बढ़ावा देगा। चार्टर की धारा 62 में कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद सभी के लिए मानव अधिकार व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान एवं उनके अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशें कर सकता है।

परिचय

मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) के माध्यम से भी लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से धारा 16 के द्वारा पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी विवाह करने या न करने तथा जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के बन्धन से रहित होकर सुखमय जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 8 मार्च 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया गया। 1995 में चीन के बीजिंग नामक नगर में स्त्रियों हेतु चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। बीजिंग घोषणा और कार्यवाही में सरकारें शान्ति आनंदोलन में स्त्रियों द्वारा निभायी गयी भूमिका को मान्यता प्रदान कर महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार की हिंसा को मिटाने का आहवान कर उन्हें समान रूप से मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के उपयोग व उपभोग को सुनिश्चित करने की शपथ लेता है।

यू० एन० डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (C.U.N.Declaration of Human Rights) की धारा-2k में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति इस धौषणा में उद्दृत मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हकदार है। उन्हे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, व भाषा से पृथक नहीं समझा जायेगा। 1950 में भारतीय संविधान में सभी की समता की तदर्थ मानकर शिक्षा को आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, प्रगति का समुन्नत मार्ग मानकर शिक्षा की चुनावीं नीति सम्बद्धी परिप्रेक्ष्य के बिन्दु 7.2 में शिक्षा के अवसरों की लिंगीय विषमता को दूर करते का प्रयास किया गया है। सभी के लिए अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिए की गई है। परन्तु लैंगिक समानता की डगर अभी काफी दूर है। इसको पास करने के लिए भागीरथ प्रयासों की आवश्यकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में लिंग व सामाजिक खाइयों को भरने हेतु सारागर्भित सुझाव दिये गये हैं। 1976 ई० से पूरे देश में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला व्यूरो, नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियाचयन तथा समचय के लिए राष्ट्रीय सरका० सितम्बर 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला व बाल विकास के लिए अलग-अलग विभाग बनाये गए हैं। लैंगिक भेदभाव को कम करने व शैक्षिक समानता के क्षेत्र में सकारात्मकता हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं, गठित आयोगों, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में आपरेशन ल्लैकबोर्ड व महिला समारक्षा आदि में सारागर्भित सुझाव दिये गए हैं। इन सबके बावजूद महिलाएं आज भी हिंसा तथा उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सर्वव्यापी है। इसका साक्षात् उदाहरण हमें जन्म से पूर्व माँ की कोख में की जानी वाली हिंसा से मिल जाता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में पोषण की कमी, शिक्षा की रचना युवावस्था में बलात्कार, विवाहोपरान्त दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक भावनात्मक या हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या कम परिश्रमिक इत्यादि द्वारा हिंसा व उत्पीड़न देखने को मिलता है।

यूनेस्को द्वारा कोरिया एवं भारत में हिंसा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है 'हिंसा, शक्तिशाली महसूस करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा को थोपना है।' आज स्वतंत्र भारत में महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो इस प्रकार हैं-

- 1-विवाह करने की स्वतंत्रता
- 2-अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों से बचने की स्वतंत्रता
- 3-प्रजनन करने की स्वतंत्रता
- 4-स्वेच्छा से गर्भ निरोधक व धारण करने की स्वतंत्रता
- 5-नपंसक व्यक्ति से विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता
- 6-अनेक्षिक शारीरिक सम्बन्धों के विरुद्ध न्याय की शरण में जाने की स्वतंत्रता।

भारत की प्रत्येक महिला को पुरुषों के समान ही नैतिक अधिकारी भी प्राप्त है। भारतीय संविधान 1950 की उद्देशिका में स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय पुरुषों के समान प्राप्त करने का अधिकार है। जो इस प्रकार हैं-

- 1-संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा ऐसा विभेद जो धर्म जाति लिंग या जन्म के आधार पर 15(2) अस्पृश्यता का अन्त।
- 2-अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत विधि के समक्ष समानता या संरक्षण जिस पर न्यायालय निर्णय ले सकता है।
- 3-अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत राज्य के अधीन नियोजन से सम्बन्धित विषयों हेतु अवसर की समानता प्रदान की गयी है।
- 4-अनुच्छेद 19 समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 5-अनुच्छेद 21 पुरुषों के समान प्राण व दैहिक स्वामीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
- 6-अनुच्छेद 39 में स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
- 7-अनुच्छेद 40 आरक्षण की व्यवस्था
- 8-अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशायें प्राप्त करना
- 9-अनुच्छेद 43 में शिष्ट जीवन स्थल और अवकाश की सम्पूर्ण दशायें
- 10-अनुच्छेद 47 पोषाहार जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य में सुधार

11—अनुच्छेद 330 लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था

12—अनुच्छेद 332(क) विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था

स्त्री सुरक्षा सम्मान हेतु कुछ विशेष उपबन्ध और कानूनी नियम बनाये गये हैं जो कि निम्न है :-

1—1956 में विधवा पुर्णविवाह

2—1987 सतीप्रथा निषेध

3—1961 दहेज निषेध अधिनियम

4—2005 घरेलू हिंसा अधिनियम (26 अक्टूबर, 2006 प्रभावशाली)

5—2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम— दो वर्ष सश्रमकारावास तथा 01 लाख जुर्माना

6—498ए दहेज हेतु 498 अपमान व कूरता का आरोप एवं 03 वर्ष सजा

7—366 जररन शादी, अपहरण में 10 वर्ष की सजा

8—494 के द्वारा एक पत्नी रहते दूसरा विवाह करने पर 07 वर्ष की सजा

9—499 में अपमान व कूरता करने पर आरोपी को 02 वर्ष सजा

10—304 दहेज के लिये मारने पर आजीवन कारावास की सजा

11—306 अश्लील कार्य के लिये 10 वर्ष की सजा

12—509 अपशब्द बोलने पर 01 वर्ष की सजा

13—376 बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा या कैद

14—354 शालीनता भंग के आरोपी को 02 वर्ष की सजा

15—294 अश्लील गीत गाने व कार्य करने पर 03 माह कैद या जुर्माना

16—306 आत्महत्या हेतु उकसाने पर 10 वर्ष की सजा

17—313 बिना सहमति के गर्भपात कराने पर 10 वर्ष सजा या आजीवन कारावास या जुर्माना

18—आर्थिक समानता के अधिकार हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

19—विवाह कानून अधिनियम 1976 (बाल विवाह निषेध)

20—विशेष विवाह अधिनियम 1954

21—हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

22—प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (कामकाजी महिलाओं हेतु)

23—हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005

24—महिला आरक्षण विधेयक 2005

25—1996 के अधिनियम में महिला और पुरुषकर्मियों को समान वेतन का प्रावधान।

26—समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 (The Equal Remuneration Act of 1976) में महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य पर समान वेतन प्राप्त होगा।

27—हिन्दू दत्तक तथा पालन पोषण अधिनियम 1956 सभी धर्मों के लिये उत्तराधिकार नियत करता है।

28—अनैतिक ट्रैफिक या तस्करी निरोधक अधिनियम 1956 को 1986 में संशोधित किया गया।

29—फैक्ट्री एकट 1948 (1976 संशोधित) में 30 महिलाएँ अगर किसी स्थान में (अंशकालिक या संविदा कर्मी) के रूप में कार्यरत हो तो शिशु पालना गृह स्थापित करना अनिवार्य है व महिलाओं के लिये स्नानघर या शौचालय अलग से बनाना।

30—मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एकट 1971 चिकित्सकीय या मानवीय आधारों पर प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा गर्भपात कराने को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

31—1983 किमिनल लॉ के संशोधन द्वारा सात साल की कैद साधारण, बलात्कार, 10 वर्ष की कस्टीडियल रेप केस में देने का प्रावधान है।

32—प्रीनेटल डायग्नोस्टिक रेमिनिक्स (रिगुलेशन एण्ड प्रावेन्शन ऑफ मिस्यूज, 1994)

33—ठेका रम अधिनियम, 1970 महिला श्रमिकों से प्रातः 06:00 से 07:00 के बीच 09 घण्टे के बाद काम पर रोक।

34—खान अधिनियम 1952 भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबन्ध

35—बगान श्रम अधिनियम, 1951 महिला कर्मकारों को अपने शिशुओं को दूध पिलाने हेतु अवकाश अनिवार्य।

36—कर्मचारी राज्य बीमा विनियम अधिनियम 1952 प्रसूति लाभ के लिये दावा को चिकित्सीय प्रमाण—पत्र की तिथि से मान्य किया गया है।

37—प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, 80 कार्य दिवस पूरे होने पर महिला कर्मियों को प्रसव, गर्भपात हेतु आवश्यक अवकाश हेतु सुविधा

304—बी—विवाह के सात वर्ष के अन्दर प्रताड़ित करने पर दहेज हत्या

312—16 स्त्री की सहमति बिना गर्भपात कराने पर

319—23मासीट करना / गम्मीर चोट पहुचाना

340—साधारण रूप से नजरबन्द

344—10 दिन से अधिक नजरबन्द रखना

354—स्त्री लज्जा हेतु हमला

361—18 वर्ष से कम आयु की लड़की का अपहरण

363ए—मिक्षावृत्ति हेतु अपहरण

364—हत्या के उद्देश्य से अपहरण

366—विवाह के लिये अपहरण

366ए—अव्यस्क लड़की के अपहरण एवं सम्मोग हेतु विवश

366बी—विवेशी लड़की का अपहरण करना

372,375—वैश्यावृत्ति हेतु लड़की को खरीदना बेचना

376—बलात्कार

376ए—सेपेशन की अवधि में पत्नी के साथ सम्मोग

376बी—लोकसेवा द्वारा अपने अभिरक्षण में रखी महिला से मैथुन करना

377—प्रकृति के विरुद्ध सम्मोग करना

494—पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना

496—धोखा धड़ी से विवाह करना

498ए—पति / उसके रितेदारों द्वारा उत्पीड़न

499—बेइज्जती करना

509—महिला की शालीनता को अपमानित, अश्लील, उपशब्दों का उपयोग

वेश्यावृति निवारण अधिनियम 1956 के तहत बलपूर्वक, देहव्यापार निषिद्ध कर दिया है। 1986 में संशोधन द्वारा अधिक सशक्त बनाया है। घरेलू हिंसा के बावजूद उत्पीड़न या हिंसा तक ही सीमित न होकर मानव विकास की प्रक्रिया में बाधक होती है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, भाषायी, भावनात्मक, आर्थिक शोषण किया जाता है जिसके विरुद्ध वह न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। नैतिक भेदभावों के कारण स्त्रिया मात्र सन्तानोंत्पत्ति का माध्यम समझी जाने लगी थी लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त लेगिंग व उत्पादक अधिकारों व समुचित शिक्षा प्राप्त करने के कारण महिला साक्षरता में प्रथम से तीन स्थानों पर केरल 93.91 लक्ष्मीप 92.28 तथा मिजोरम 91.58 का स्थान है उपयुक्त तीन राज्यों में महिलाओं की सख्त्या 1000 पुरुषों पर कमशः 1084,946,975 है।

संविधान के भाग 03 में सात मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा लिया गया है। मूल अधिकार इस प्रकार है :-

- 1— समता का अधिकार
- 2— विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार
- 3— शोषण के विरुद्ध अधिकार
- 4— धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- 5— संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
- 6— संवैधानिक उपचारों का अधिकार

आधुनिक भारत में महिलाओं को प्राप्त उत्पादक और लैंगिक अधिकार सुषिट और गरिमा युक्त जीवन के लिये अनिवार्य है। इन अधिकारों के माध्यम से आधुनिक नारी को सम्मान व सुरक्षा प्राप्त है चूंकि सुषिट के सृजन में पुरुष व स्त्री दोनों का एक समान महत्व होता है लेकिन रुदिवादिताओं और परम्पराओं में जकड़े समाज में स्त्रियों के मन में यह भावना भर गयी है कि यह पुरुषों से हीन है, तुच्छ है। इसी भावना व मानसिकता के कारण स्त्रियों की दशा दयनीय होने लगी। उनका शारीरिक मानसिक, आर्थिक, भावात्मक शोषण होने लगा।

औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। एक पंख से विडिया उड़ान नहीं भर सकती।

—स्वामी विवकानन्द

सुभद्रा कुमारी चौहान के निम्नलिखित उदाहरण को चरित्रार्थ करना होगा।

वीर पुरुष यदि भीरु हो, तो मुझको दे वरदान सखी।
अबलाए उठ पड़े देश में, करें युद्ध घमासान सखी।
पद्रंह कोटि असहयोगिनियां, दहला दे, ब्रह्मांड सखीं।
भारत लक्ष्मी लौटाने को, रच दे लंका, कांड सखी॥

अर्थात् महिलाओं को अपने अधिकारों एवं सम्मान को प्राप्त करने के लिये खुद आगे करना होगा। समाज द्वारा दिये गये बौनेपन को अपना गुण न समझकर इस मानसिकता से मुक्ति पाकर अपने गड़े हुए बनावटी व्यक्तित्व से अपने को मुक्त करना होगा तभी महिला सशक्तिकरण का स्वन्न साकार हो सकेगा।

सन्दर्भित ग्रन्थ

1. सरयाल, एस. (2004), 'भारत में महिलाओं के अधिकार : समस्याएं और संभावनाएँ', अंतर्राष्ट्रीय शोध। महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार।
2. वी. वेंकटरमण, आर. कलैवानी, 'लिबरेशन ऑफ वीमेन : एकिटविटीज ऑफ वुमन इडियन एसोसिएशन इन कोलोनियल तमिलनाडु, 1917-1945', गूगल स्कॉलर ई-जर्नल, दिसंबर 2000, पीपी.3-5
3. घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय कानून। (2 अक्टूबर, 2007)।
4. वर्मा बी.आर. (2002), 'मुस्लिम कानून पर टिप्पणी', (भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में) 8वां संस्करण। , भारत: लॉ पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
5. कपूर, रत्ना, ब्रेंडा कॉस्मैन।, (1996), 'सबवर्सिव साइट्स: फोमिनिस्ट एंगेजमेंट्स विद लॉ इन इंडिया' इंडियारू सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
6. जैकबसन, गैरी जे., (2003), 'द व्हील ऑफ लॉ: इंडियाज सेक्युलरिज्म इन कम्पेरेटिव कॉन्स्टट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट', एनजे: प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंस्टन।
7. गोयनसेकरे सावित्री।, (2004), 'वॉयलेंस, लॉ, एंड वीमेन्स राइट्स इन साउथ एशिया', इंडिया: सेज पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. इन्तियाज अहमद।, (2003), 'भारत में मुसलमानों के बीच तलाक और पुनर्विवाह', भारत: मनोहर प्रकाशक, दिल्ली।
9. ढांडा, अमिता, अर्चना पाराशार।, (1999), 'एंजेंडरिंग लॉरू एसेज इन ऑर्स ऑफ लोटिका सरकार', इंडिया: ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।